डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का एक उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

स0—डीएफसीसीआईएल / टुण्डला / एच0आर0 / आरटीआई / 1000 दिनांक— 11.10.2024

श्री एस0 के0 पांडा
उप महाप्रबंधक / एडमिन
जन सूचना अधिकारी / डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

विषय—सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री अभिषेक शर्मा निवासी ग्राम वरहन पो0 वरहन जिला आगरा उ0प्र0 का आवेदन दिनांक—06.10.2024

सन्दर्भ— आर टी आई स0— 1000

श्री अभिषेक शर्मा निवासी ग्राम वरहन पो0 वरहन जिला आगरा उ0प्र0 का आवेदन दिनांक—06.10.2024 के विषय में उत्तर संलग्न कर भेजा जा रहा है।

आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

11-10-2024

संलग्न— यथोपरि

(प्रफुल्ल चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक
डीएफसीसीआईएल
टुण्डला

Office Of Chief General Manager:- DFCCIL Office Complex, New Tundla Station/EDFC ,Village –Bhakti Garhi- Tehsil Tundla, District-Firozabad, Uttar Pradesh -283404
Email:-cgmtundla@dfcc.co.in. Website www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI(FRZ)

Dated: 09 10.2024
11

सेवा में,
कनिष्ठ परियोजना प्रबन्धक(मा0 सं0)
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टूण्डला

विषय – ग्राम वरहन तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा के भू स्वामी द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मॉगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र – डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,/आर0/ई/24/00893 दिनांक 06.10.2024

महोदय,
उपर्युक्त विषय में आपको अवगत कराना है कि जिसमें प्रार्थी अभिषेक शर्मा निवासी ग्राम बरहन तहसील एत्मादपुर जिला आगरा द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 के अर्न्तगत अधिग्रहित भूमि के विवरण उपलब्ध कराये जाने की मॉग की गई है। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम बरहन में अर्जित भूमि का क्षेत्रफल का विवरण 20ई, 20एफ के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। जोकि निम्न प्रकार है–

1 – गाटा संख्या 1562 सरकारी भूमि में से 0.0088 का अधिग्रहण किया गया, प्रभावित गाटे का पुर्नग्रहण आदेश सलंग्न है।
2 – गाटा संख्या 1563 सरकारी भूमि में से 0.0040 का अधिग्रहण किया गया, प्रभावित गाटे का पुर्नग्रहण आदेश सलंग्न है।
3 – गाटा संख्या 1572 सरकारी भूमि में से 0.0360 का अधिग्रहण किया गया, प्रभावित गाटे का पुर्नग्रहण आदेश सलंग्न है।
4 – गाटा संख्या 1573 सरकारी भूमि में से 0.0180 का अधिग्रहण किया गया, प्रभावित गाटे का पुर्नग्रहण आदेश सलंग्न है।
5 – गाटा संख्या 1625 में 0.9256 भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रभावित गाटे का नक्शा सलंग्न है।

11/10/2024.

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(एस0के0 मोहन्ती)
उप परियोजना प्रबंधक/सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग—1
संख्या— 300 /एक—1—2012—5(34)/2012
लखनऊ :: दिनांक :: 18 जून, 2012

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या—प्र0स0 474/एक—1/2008—5—1(48)/2008—78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तों के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या—68/तीन—2(6)/1979—राजस्व—1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या—68/3—2(6)/1979—रा—1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ—5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गयी थी, पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग, भारत सरकार को इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

अनुसूची

क0सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	सुरहरा मुस्तकिल	8	0.0150	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर भारत सरकार को इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर रेल परियोजना हेतु।
2					20	0.0200	
3					28	0.0210	
4					29	0.0100	
5					89	0.0350	
6					417	0.0100	
7					418	0.0200	
8					421	0.0080	
9					422	0.0170	
10					432	0.0250	
11					445	0.0280	
12					451	0.0350	
13					458	0.0410	
14					491	0.0270	
15					496	0.0153	
16					501	0.0290	

क्रमशः—2

53					520	0.0400	
54					524	0.0120	
55					525	0.0090	
56					546	0.0170	
57					547	0.0080	
58					548	0.0120	
59					549	0.0080	
60					556	0.0120	
61					557	0.0080	
62					564	0.0100	
63					565	0.0100	
64					614	0.0120	
65					615	0.0120	
66					625	0.0080	
67					626	0.0120	
68					633 / 881	0.0520	
69				नगला गोल	10 / 2	0.0800	
70					62	0.0120	
71					65	0.0090	
72					67	0.1740	
73					152	0.0036	
74					168	0.0350	
75					169	0.0580	
76				सुजानपुर	3	0.0160	
77					50	0.0040	
78				जामपुर	25	0.1730	
79					96	0.0070	
80					114	0.0260	
81				विरूनी	72	0.1100	
82					105	0.0020	
83					292	0.0750	
84					306	0.0580	
85					308	0.0080	
86					348	0.0530	
87				बरहन	1168	0.1020	
88					1171	0.0390	

क्रमशः

89					1172	0.0040	
90					1185	0.0620	
91					1189	0.0610	
92					1190	0.0400	
93					1194	0.0480	
94					1209	0.0160	
95					1232	0.0080	
96					1256	0.0288	
97					1259	0.0310	
98					1260	0.0160	
99					1510	0.0440	
100					1515	0.0500	
101					1527	0.1790	
102					1562	0.0088	
103					1563	0.0040	
104					1572	0.0360	
105					1573	0.0180	
106					1574	0.0096	
107					1587	0.0210	
108					1626	0.0600	
109					1627	0.0320	
110					1659	0.0040	
111					1660	0.0060	
112					1728	0.0200	
113					1729	0.0100	
114					1753	0.0192	
115					1879	0.0020	
116					1880	0.0020	
117					1882	0.0740	
118					1885	0.0230	
119				जमालनगर भैंस	131	0.0090	
120					142	0.0090	
				योग	कुल 120 गाटा	**4.8878 हे0**	

आज्ञा से,

अशोक कुमार
प्रमुख सचिव।

Page : 4

क्रमशः -

Asstt. Project Manager-E...
DFCCIL/Ministry of Rai...
Firozabad/Agra

Chief Project Manager
Dedicated Freight Corridor Corporation
of India Ltd.
(A PSU of Ministry of Railways)
KANPUR (U.P.)

MONARCH SURVEYORS & ENGINEERIN...
RUJETA APART...
NEAR SAHAWAS HALL, S...
PUNE

20E By 1951 Agra

(60)

रजि. सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2077] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2011/कार्तिक 12, 1933

No. 2077] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2011/KARTIKA 12, 1933

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2011

का.आ. 2487(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1468(अ), तारीख 24 जून, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 28 जून, 2011 में प्रकाशित की गई थी और रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई थी, द्वारा केन्द्र सरकार ने उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेड कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र, अर्थात् हिन्दुस्तान, तारीख 11 जुलाई, 2011 और अमर उजाला, तारीख 11 जुलाई, 2011 में प्रकाशित किया गया था;

और, 07(सात) आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी ।

194

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	बरहन	1877	निजी	गैरकृषि	0.0120	भोलाराम, जयप्रकाश, महेशचन्द पुत्रगण लक्ष्मीनरायन, शकुन्तलादेवी देवी पत्नी स्व. लक्ष्मीनरायन, मोहरसिंह, भोगीलाल सोनवीर सिंह, पुत्रगण ज्योतिप्रसाद, भगवान सिंह पुत्र हरीराम, सोनपाल, प्रेमचन्द, धर्मवीर पुत्रगण पदमसिंह नीरजा पत्नी गनेशीलाल, शकुनतलादेवी पत्नी भगवान सिंह
		1876	निजी	गैरकृषि	0.0470	रामसहाय, गोविन्दराम, पुत्रगण श्यामलाल, अमित, अरुण पुत्रगण रामखिलाड़ी, प्रेमवती पत्नी स्व0 राम खिलाडी
		1875	निजी	गैरकृषि	0.0760	छीतरमल पुत्र मटरेलाल
		1873	निजी	आबादी / कृषि	0.0060	झम्मनलाल पुत्र हेतराम, राजनाथ बालिग, सुनील कुमार, झाझनलाल, पुत्रगण नेत्रपाल, श्रीमती मोहरश्री पत्नी तालेवर सिंह, संजय कुमार पुत्र धुन्नीलाल, धुन्नीलाल पुत्र करन सिंह, रमेशचन्द्र, महिपाल सिंह, महावीर सिंह, राजवीर सिंह पुत्रगण सरनाम सिंह, श्रीमती सरवती देवी पत्नी स्व0 सरनाम सिंह, श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी मुन्नालाल
		1881	निजी	कृषि	0.6180	रामसहाय पुत्र निनुआ, मोहन पुत्र मुंशी, नत्थीलाल, हाकिमसिंह पुत्रगण सुनहरी, लालाराम, पेंदरी सिंह, लालसिंह, महावीरप्रसाद पुत्रगण वासदेव, शिवकुमार ना. उम्र 16 वर्ष, झन्डू उर्फ प्रकाश ना. उम्र 14 वर्ष, प्रकाश ना. उम्र 11 वर्ष सं. प्रेमवती देवी माँ पुत्रगण पन्छी, प्रेमवतीदेवी पत्नी स्व. पन्छी, पप्पूसिंह पुत्र लीलाधर, श्रीमती रश्मि पत्नी ज्ञानप्रकाश गौड, श्रीमती चन्द्रप्रभा जैन पत्नी नेन कुमार, श्रीमती सरोजदेवी पत्नी अतर सिंह पंकज
		1882	निजी	गैरकृषि	0.0120	रामसहाय पुत्र निनुआ, मोहन पुत्र मुंशी, नत्थीलाल, हाकिमसिंह पुत्रगण सुनहरी, गुड्डीदेवी विधवा शंकरलाल, लालाराम, महावीरप्रसाद पुत्रगण वासदेव, शिवकुमार ना. उम्र 16 वर्ष, झन्डू उर्फ प्रकाश ना. उम्र 14 वर्ष, प्रकाश ना. उम्र 11 वर्ष सं. प्रेमवती देवी माँ पुत्रगण पंछी, प्रेमवतीदेवी पत्नी स्व. पन्छी, पप्पूसिंह पुत्र लीलाधर, श्रीमती लीला पत्नी स्व. झम्मनसिंह, रामगोपाल पुत्र बालकिशन, रामबेटी पत्नी स्व. बालकिशन
		1883	निजी	गैरकृषि	0.0100	कैलाशी पुत्र गोकुल, विद्यादेवी पत्नी कैलाशचन्द, हरिओम, विजेन्द्रसिंह पुत्रगण बिहारीलाल, श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी स्व. बिहारीलाल, सतीशचन्द, उमेशचन्द पुत्रगण कोमलसिंह, श्रीमती मौहरश्री पत्नी स्व. कोमलसिंह, दिनेश सिंह, मुकेशचन्द, पंकज पुत्रगण महेन्द्र सिंह, श्रीमती कान्तीदेवी विधवा स्व0 महेन्द्र सिंह
		1884	निजी	गैरकृषि	0.0810	कैलाशी पुत्र गोकुल, रामसहाय पुत्र निनुआ, मोहन पुत्र मुंशी, नत्थीलाल, हाकिमसिंह पुत्रगण सुनहरी, गुड्डीदेवी विधवा शंकरलाल, लालाराम, महावीरप्रसाद पुत्रगण वासदेव, शिवकुमार ना. उम्र 16 वर्ष, झन्डू उर्फ प्रकाश ना. उम्र 14 वर्ष, प्रकाश ना. उम्र 11 वर्ष सं. प्रेमवती देवी माँ पुत्रगण पंछी, प्रेमवतीदेवी पत्नी स्व. पन्छी, पप्पूसिंह पुत्र लीलाधर, श्रीमती लीला पत्नी स्व. झम्मनसिंह, रामगोपाल पुत्र बालकिशन, रामबेटी पत्नी स्व. बालकिशन, विद्यादेवी पत्नी कैलाशचन्द, हरिओम, विजेन्द्रसिंह पुत्रगण बिहारीलाल, श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी स्व. बिहारीलाल, सतीशचन्द, उमेशचन्द पुत्रगण कोमलसिंह, श्रीमती मौहरश्री पत्नी स्व. कोमलसिंह, दिनेश सिंह, मुकेशचन्द, पंकज पुत्रगण महेन्द्र सिंह, श्रीमती कान्तीदेवी विधवा स्व0 महेन्द्र सिंह
		1772	निजी	कृषि	0.3172	पीतम सिंह पुत्र जोरावर सिंह, बहादुर सिंह पुत्र चित्तर सिंह, पौप सिंह, निन्नूसिंह, लोकेन्द्र सिंह, गुलाब सिंह पुत्रगण प्रतापभान, श्रीमती दुलारीदेवी पत्नी स्व. प्रतापभान
		1774	निजी	कृषि / आबादी	0.2354	मकरनदेवी पत्नी लालसिंह, उदयवीरसिंह, उदयप्रकाश, राजवीरसिंह पुत्रगण साहबसिंह, मानदेवी पत्नी स्व. साहबसिंह, सुमन कुमारी पत्नी सुरेशचन्द पचौरी, मुन्नीदेवी पत्नी मुन्नालाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1775	निजी	कृषि	0.1976	कृपाशंकर पुत्र पीताम्बरसिंह, मकरनदेवी पत्नी लालसिंह, सुमनकुमारी पत्नी सुरेशचन्द पचौरी, मुन्नीदेवी पत्नी मुन्नालाल
		1766	निजी	कृषि/आबादी	0.2066	शिव कुमार, अशोक कुमार, राकेश कुमार, रूपेन्द्र पुत्रगण ग्याचरन, कृपाशंकर, हरीशंकर, विनोदशंकर, रविशंकर, गिरजा शंकर पुत्रगण रघुवीर प्रसाद
		1755	निजी	कृषि/आबादी	0.2620	रामजीलाल, जयप्रकाश, सुरेशचन्द, दिनशेचन्द, राकेश कुमार पुत्रगण भीकमसिंह उर्फ रामदयाल
		1776	निजी	कृषि	0.2668	गिरिशचन्द उर्फ गिरिशबाबू, नरायन पुत्रगण झुन्नीलाल
		1722	निजी	कृषि	0.3960	श्रीमती मंजुदेवी पत्नी बुद्धसैन, देवीराम पुत्र पंचम, राजेन्द्रसिंह पुत्र बाबू सिंह, श्रीमती शीलाप्यारी पत्नी राजवीर सिंह, महावीर सिंह पुत्र लज्जाराम
		1721	निजी	कृषि	0.0025	करनसिंह, हरनाम सिंह पुत्रगण गुलाब
		1720	निजी	कृषि	1.0760	भोलाराम, जयप्रकाश, महेशचन्द पुत्रगण लक्ष्मीनरायन, शकुन्तलादेवी देवी पत्नी स्व. लक्ष्मीनरायन, मौहरसिंह, भोगीलाल, सोनवीर सिंह, पुत्रगण ज्योतिप्रसाद, भगवान सिंह पुत्र हरीराम, सोनपाल, प्रेमचन्द, धर्मवीर पुत्रगण पदमसिंह
		1719	निजी	आबादी	0.0060	करनसिंह, हरनाम सिंह पुत्रगण गुलाब, भोलाराम, जयप्रकाश, महेशचन्द पुत्रगण लक्ष्मीनरायन, शकुन्तलादेवी देवी पत्नी स्व. लक्ष्मीनरायन, मौहरसिंह, भोगीलाल, सोनवीर सिंह, पुत्रगण ज्योतिप्रसाद, भगवान सिंह पुत्र हरीराम, सोनपाल, प्रेमचन्द, धर्मवीर पुत्रगण पदमसिंह
		1718	निजी	कृषि/आबादी	0.4100	निन्नुराम पुत्र करनसिंह, सोनपाल, प्रेमचन्द, धर्मवीर पुत्रगण पदमसिंह
		1558/2403	निजी	कृषि	0.0080	किशनलाल पुत्र पातीराम, जयप्रकाश पुत्र उल्फतराम, रामस्वरूप पुत्र रेवतीराम, जगमोहन, प्रतापसिंह, महेन्द्रसिंह, ग्रिराजकिशोर पुत्रगण रामस्वरूप, नरायन, प्रेमनरायन, प्रकाश नरायन पुत्रगण धर्मनरायन, गंगादेवी पत्नी स्व० तुलाराम, डम्बर सिंह, पूरन सिंह पुत्रगण तुलाराम
		1661	निजी	कृषि	0.5280	लाखनसिंह, ऊदलसिंह पुत्रगण चन्दनसिंह, रिसालसिंह, जगमोहनसिंह, किशनसिंह पुत्रगण विजेन्द्र सिंह
		1658	निजी	कृषि/आबादी	0.0190	करनसिंह, ईश्वरीप्रसाद, कृपाशंकर, अतरसिंह पुत्रगण मुर्लीधर, मदन कुमार, विजय कुमार, मुनेश कुमार, नरेन्द्र कुमार, नवीन कुमार पुत्रगण जयकुमार, विकाश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार, श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुमार
		1569	निजी	कृषि	0.8710	करनसिंह, अतरसिंह, ईश्वरी प्रसाद, कृपाशंकर पुत्रगण मुरलीधर, श्रीमती कान्तीदेवी पत्नी रामभरोसीलाल, श्रीमती भूदेवी पत्नी किशन स्वरूप, राजेन्द्र सिंह, विजय कुमार पुत्रगण नत्थीलाल, गोवर्धन पुत्र पीताम्बरसिंह, मदन कुमार, विजय कुमार, मुनेश कुमार, नरेन्द्र कुमार, नवीन कुमार पुत्रगण जयकुमार, विकाश कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुनार, श्रीमती कमलादेवी पत्नी स्व. सुरेन्द्र कुनार
		1625	निजी	कृषि/आबादी	0.9256	सुभाषचन्द पुत्र देवकुमार, भानप्रकाश, चन्द्रभान, रमेशचन्द, सूरजभान, अरविन्द कुमार पुत्रगण शंकरलाल
		1570	निजी	कृषि/आबादी	0.0484	जगमोहन, प्रतापसिंह, महेन्द्रसिंह, गिर्राजकिशोर पुत्रगण स्वरूप नरायन, प्रेमनरायन, प्रकाश नरायन पुत्रगण धर्मनरायन, अन्नतराम मोहन, राकेश कुमार पुत्रगण सन्तलाल, श्रीमती मनोरमा देवी धर्मपत्नी स्व. सन्तलाल
		1575	निजी	कृषि	0.2960	अन्नतराम मोहन, राकेश कुमार पुत्रगण सन्तलाल, श्रीमती मनोरमा देवी धर्मपत्नी स्व. सन्तलाल
		1574	निजी	गैरकृषि	0.0100	जुगेन्द्रसिंह, मुरारीलाल पुत्रगण शिव चरन.
		1528	निजी	गैरकृषि	0.2590	राकेश कुमार पुत्र शंकरदत्त, अमित कुमार पुत्र हरीदत्त, श्रीमती मिथलेश पत्नी स्व. हरीदत्त, श्यामचरन, विनोद बाबू, मुनेश पुत्रगण शिवदत्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1520	निजी	कृषि	0.4506	हरीओम, चन्दशेखर पुत्रगण मुन्शीलाल, श्रीमती प्रेमवती पत्नी मुन्शीलाल ओमप्रकाश पुत्र दुर्गा, मुशीलाल, पुत्रगण देवकी, श्रीमती जमुनादेवी वेवा देवकी, महेन्द सिंह पुत्र हजारीलाल, श्रीमती मौहरश्री पत्नी हजारीलाल, राजवीरसिंह पुत्र झुन्नीलाल,राजवेटी स्व0 पत्नी रोशनलाल सुमनदेवी पत्नी अजब सिंह
		1514	निजी	कृषि	0.1350	महेन्दसिंह, मुकेश चन्द पुत्रगण रामसहाय
		1521	निजी	कृषि / आबादी	0.0010	गोविन्दराम, लखमीसिंह पुत्रगण जयपालसिंह, बाबूराम पुत्र मन्गला
		1513	निजी	कृषि	0.2014	लाखनसिंह, राजेन्द्रसिंह, अरविन्द कुमार पुत्रगण रामस्वरूप, श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. रामस्वरूप, उपेन्द कुमार पुत्र मोहकनसिंह
		1512	निजी	कृषि	0.5470	गोविन्दराम, लखमीसिंह पुत्रगण जयपालसिंह, बाबूराम पुत्र मन्गला
		1261	निजी	कृषि	0.2860	शिव कुमार, राधाकान्त पुत्रगण शिवचरनलाल, सोनू पुत्र लक्ष्मन स्वरूप, श्रीमती सरोज पत्नी लक्ष्मन स्वरूप, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नीरज कुमार पुत्रगण सुनहरीलाल
		1262	निजी	कृषि	0.1860	नेत्रपालसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रगण [illegible]सिंह
		1263	निजी	कृषि	0.1770	विजयपाल, महीपाल, अजयपाल, [illegible]सिंह पुत्रगण गुलाब
		1264	निजी	कृषि	0.1680	रक्षिपालसिंह, रामजीलाल, रघुराज[illegible] पुत्रगण मोहनलाल
		1265	निजी	कृषि	0.0770	रामस्वरूप पुत्र पूरनसिंह
		1266	निजी	कृषि	0.0770	अशोक कुमार पुत्र कन्हीराम, [illegible], सुनहरीलाल, महीपाल पुत्रगण मंगलराम
		1267	निजी	कृषि	0.1330	अन्तराम पुत्र खचेरू
		1258	निजी	कृषि	0.0292	दिगविजयपालसिंह, जुगेन्द्रपालसिंह, रोहितप्रताप, त्रिभुवनवीरसिंह, विक्रमवीरसिंह अजयपालसिंह, कुशलपालसिंह, चन्द्रपालसिंह पुत्रगण रामपालसिंह, मनमोहनसिंह, वृजमोहनसिंह पुत्रगण भोजराज सिंह, अनुरूद्धपाल सिंह, अतीतपाल, सुनीतपाल पुत्रगण मानपाल,उर्मिलादेवी पत्नी कुशलपालसिंह, रामदास, सियाराम, कुँवरप्रसाद, कोमल प्रसाद पुत्रगण श्यामलाल, श्रीकृष्ण पुत्र बाबूराम
		1248	निजी	कृषि	0.4998	सत्यदेव पुत्र बाबूलाल, रामजीलाल, सुरेशचन्द, सत्यप्रकाश, मुन्नेशकुमार, अशोक कुमार पुत्रगण शिवचरन, नरसिंहपाल, ओमप्रकाश, त्रिलोकचन्द, वृजमोहन पुत्रगण हितेन्द्रसिंह, श्रीमती सरस्वतीदेवी पत्नी हितेन्द्रसिंह
		1247	निजी	कृषि / आबादी	0.1650	मंगलसिंह, नन्दराम पुत्रगण रतनसिंह, निरोत्तमसिंह, प्रेमसिंह, पप्पू अर्जुनसिंह पुत्रगण गोकुलसिंह, प्रेमवती पत्नी वेदप्रकाश
		1246	निजी	कृषि	0.2190	शिव कुमार, राधाकान्त पुत्रगण शिवचरनलाल, सोनू पुत्र लक्ष्मन स्वरूप, श्रीमती सरोज पत्नी लक्ष्मन स्वरूप, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नीरज कुमार पुत्रगण सुनहरीलाल
		1237	निजी	कृषि	0.3320	सुरेशचन्द, सत्यप्रकाश, मुनेश कुमार पुत्रगण शिवचरनलाल
		1234	निजी	कृषि	0.5754	नन्दराम पुत्र रतनसिंह, घोबसिंह पुत्र बिहारीलाल
		1233	निजी	कृषि	0.1460	विनोद कुमार सिंह पुत्र गजराजसिंह, रामकटोरी वेवा गजराजसिंह, महावीर सिंह, हुब्बलाल, जयवीरसिंह, उदयवीरसिंह पुत्रगण मेवाराम, ओमप्रकाश पुत्र पातीराम, राजवीरसिंह, राजनसिंह पुत्रगण बुद्धसिंह, भोजराज पुत्रगण रूप सिंह, प्रेमवती पत्नी बाबूलाल, श्रीमती सरोज पत्नी अशोक कुमार, जगपाल सिंह, रामगोपाल, भगवत सिंह, शिवनाथ सिंह पुत्रगण वदन सिंह
		1218	निजी	गैरकृषि	0.0030	नवीन परती
		1217	निजी	गैरकृषि	0.0070	आबादी
		1216	निजी	गैरकृषि	0.0704	आबादी
		1215	निजी	कृषि	0.1920	चन्द्रपालसिंह, इन्द्रपालसिंह पुत्रगण जसवन्तसिंह, बाल मुकन्द पुत्र देवी सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1213	निजी	कृषि	0.1860	शिशुपालसिंह, शियमोहन सिंह पुत्रगण देशपालसिंह, श्रीमती विद्यादेवी वेवा देशपालसिंह
		1241	निजी	कृषि	0.0380	चन्द्रपालसिंह, इन्द्रपालसिंह पुत्रगण जसवन्तसिंह, बाल मुकन्द पुत्र देवी सिंह
		1210	निजी	कृषि	0.5180	अभिलाख, रवीन्द्र कुमार, दलीप कुमार, विनोद कुमार सिंह पुत्रगण गजराजसिंह, रामकटोरी वेवा गजराजसिंह, महावीर सिंह, उदैवीरसिंह पुत्रगण मेवाराम, श्रीमती मिठुनदेवी पत्नी हुब्बलाल, गिरमा देवी पत्नी गोपाल सिंह
		1193	निजी	कृषि/आबादी	0.5090	दलवीरसिंह, धलावीरसिंह, विक्रमपालसिंह, यदुवीर सिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्रगण गीतमसिंह, यशपालसिंह, रणधीरसिंह, धीरेन्द्रपालसिंह, विजयप्रतापसिंह पुत्रगण युधिष्टर पालसिंह, रानीदेवी वेवा युधिष्टर पालसिंह

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यपालक निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2011

S.O. 2487(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1468 (E), dated the 24th June, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th June, 2011 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Agra in the State of Uttar Pradesh;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in the daily newspapers, namely, Hindustan, dated the 11th July, 2011 and Amar Ujala, dated the 6th July, 2011 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, 07(Seven) numbers of objections were received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्याप्ति) आगरा ।

अभिनिर्णय आदेश

1. वाद संख्या :— 7/2011

2. जिला आगरा परगना व तहसील एत्मादपुर, ग्राम — बरहन ।

3. क्या जमींदारी उन्मूलन लागू है :— लागू है ।

4. अर्जित क्षेत्रफल :— **13.1313 हे0**

5. अध्याप्ति निकाय का नाम :— **मुख्य परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन इण्डिया लि0,कानपुर ।**

6. भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन :— जनपद आगरा में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ।

7. धारा 20ए का प्रकाशन

क्रमांक	गजट प्रकाशन	स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन
1	28.06.2011	1. अमर उजाला, दिनांक — 11.07.2011 2. हिन्दुस्तान, दिनांक — 11.07.2011

8. धारा 20ई का प्रकाशन

क्रमांक	गजट प्रकाशन	स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन
1	03.11.2011	1. दैनिक जागरण, दिनांक— 11.12.2011 2. हिन्दुस्तान दिनांक— 11.12.2011

9. अभिनिर्णय दिनांक :—

10. भूमि पर कब्जा देने की तिथि :—

11. निरूपण मूल्य की धनराशि :— धन बाजारू दर पर देय है ।

12. धनराशि जो एवार्ड की गई :—
   (क) कृषक दर पर — X X X
   (ख) अन्य दर पर — 8,50,90,824.00
   (ग) पेड/वृक्षो का मूल्यांकन— 53,867.00
   (घ) भवन आदि निर्माण का मूल्यांकन — 32,07,518.00
   (ड) कूप/बोरिंग का मूल्यांकन— 6,26,000.00

   कुल योग — 8,89,78,209.00
   (रू0 आठ करोड नवासी लाख अठत्तर हजार दौ सौ नौ मात्र)

13. भू–राजस्व पूँजीकृत मूल्य :— अर्जित की जा रही भूमि के कुल लगान की 150 गुनी धनराशि अर्जन निकाय से ली जायेगी ।

14. भूमि अध्याप्ति व्यय :— अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर की धनराशि पर 10 प्रतिशत अर्जन व्यय अर्जन निकार्य से लिया जायेगा ।

जनपद आगरा ग्राम बरहन परगना व तहसील एत्मादपुर में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित 13.1313 हेक्ट0 भूमि का अर्जन प्रस्ताव

तैयार कर मुख्य परियोजना प्रबन्धक डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन इण्डिया लि0. कानपुर द्वारा रेल भूमि अधिग्रहण संशोधित अधिनिय 2008 के तहत अर्जन किये जाने हेतु इस कार्यालय मे प्राप्त कराया गया था। जॉचोपरान्त प्रस्ताव अधिनियम की धारा 20ए के गजट प्रकाशन हेतु अर्जन निकाय के माध्यम से रेल मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया । रेल मंत्रालय द्वारा सन्दर्भित भूमि की धारा 20ए की उपधारा(1) के अन्तर्गत का गजट प्रकाशन दिनांक 28.06.2011 को भारत का राजपत्र असाधारण गजट में प्रकाशित कराया गया । अधिसूचना का गजट प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कमशः दैनिक जागरण में 11.07.2011 एवं अमर उजाला में दिनांक 11.07.2011 को हुआ है । अधिसूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराये जाने के साथ–साथ यह भी विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई थी कि अर्जन से प्रभावित भू–स्वामी अपनी–अपनी आपत्तियां 30 दिनों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी /अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) आगरा के समक्ष अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु नियत अवधि में किसी भी भू–स्वामी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई ।

सन्दर्भित प्रकरण में धारा 20ए की समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् सदर्भित भूमि का धारा 20ई का गजट प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर पुनः रेल मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया । रेल मंत्रालय द्वारा सन्दर्भित भूमि की धारा 20ई का गजट प्रकाशन दिनांक 3.11.2011 को भारत का राजपत्र असाधारण गजट में प्रकाशित कराया गया। अधिसूचना का गजट प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कमशः दैनिक जागरण दिनांक 11.12.2011 एवं अमर उजाला दिनांक 11.12.2011 में हुआ है। अधिसूचना प्रकाशन के साथ–2 समाचार पत्रों में यह भी विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई कि अर्जन से प्रभावित भू–स्वामी अपनी–अपनी आपत्तियॉ 30 दिनों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) आगरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि में निम्न काश्तकारों द्वारा आपत्तियों प्रस्तुत की गई :–

<u>आपत्तिकर्ता श्री किषनलाल पुत्र श्री पातीराम निवासी बरहन, तहसील एत्मादपुर,आगरा</u>

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 1558/2403 आपत्तिकर्ता के नाम तनहा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जबकि अर्जन हेतु जारी अभिलेखों में जयप्रकाशपुत्र उल्फतराम, रामस्वरूप नरायन,प्रेमनरायन,प्रकाशनरायन,पुत्रगण धर्मनरायन, गंगादेवी पत्नी तुलराम,डम्बरसिह,पूरनसिह,पुत्रगण तुलराम का नाम भी अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है। अंन्त में कहा गया है कि उक्त भूमि मकान बना हुआ है । इसलिए उक्त भूमि एवं सम्पत्ति का प्रतिकर भुगतान उसे ही किया जाय । इस सम्बन्ध में अर्जन निकाय द्वारा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि मौके पर आपत्तिकर्ता की ही भूमि प्रभावित हो रही है। अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान राजस्व अभिलेखों में दर्ज स्वामित्व के आधार पर किया जायेगा यदि मकान प्रभावित हो रहा है तो उसका मूल्यांकन लो0नि0वि0 से कराकर अर्जित भूमि के साथ सम्मिलत कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

<u>आपत्तिकर्ता श्री लक्षमनसिह,प्रेमवीरसिंह, मूलचन्द पुत्रगण नेत्रपालसिंह,निवासी सराय जयराम पोस्ट बरहन,तहसील एत्मादपुर, आगरा।</u>

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 1262 से भूमि का अर्जन किया जा रहा है । उक्त भूमि का प्रतिकर उनके पिता श्री नेत्रपालसिंह को न किया जाय क्योंकि उनके द्वारा उक्त भूमि का बैनामा अपने पक्ष में करा लिया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतोनी संलग्न की गई है। अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज स्वामित्व के आधार पर तथा अभिलेखिय साक्ष्यों के

आधार किया जायेगा । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है। ।

आपत्तिकर्ता श्री सोनपाल,प्रेमचन्द,धर्मवीर पुत्रगण श्री पदमसिंह निवासी ग्राम बरहन तहसील एत्मादपुर, आगरा।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 1719 व 1720 से लगी भूमि का बैनामा वर्ष 2011 में 1500/प्रतिवर्गमीटर की दर से हुआ है जिसकी छाया प्रति संलग्न है । इसलिए उनको उक्त दर से प्रतिकर भुगतान किया जाय । अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर किया जायेगा । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्री गिरीशबाबू निवासी बरहन तहसील एत्मादपुर, आगरा।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 1776 से भूमि का अर्जन किया जाना दर्शाया गया है। उक्त खसरा का कुरा बटवारा हो चुका है जिसके अनुसार गाटा संख्या 1776/1 रकवा 0.602 हेक्ट0 मेरे भाई श्री नारायन शर्मा का है तथा गाटा संख 1776/2 रकवा 0.602 हेक्ट0 उनका है। संदर्भित योजना हेतु जो भूमि अर्जित की जा रही है वह उनके भाई के हिस्से में से की जा रही है मौके पर उनके हिस्से से भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। इसलिए अर्जित भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। गाटा संख्या 1776 से भूमि का अर्जन किया जाना दर्शाया गया है । प्रतिकर भुगतान के समय स्थलीय एवं अभिलेखीय परीक्षण करने के उपरान्त अभिलेखों में संशोधन करने के पश्चात ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायगी । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्रीमती शीला त्यागी पत्नी श्री राजवीर त्यागी निवासी बरहल,तहसील एत्मादपुर,आगरा ।

आपित्तकर्ती द्वारा अपने प्रर्थना पत्र में कहा गया है कि अर्जित गाटा संख्या 1722 से उनके द्वारा 0.319 हेक्ट0 का बैनामा उनके द्वारा श्रीमती देवी पत्नी राभरोसी से कराया गया है और वह उक्त खसरा में 1/2 भाग की स्वामिनी है। साथ ही कहा गया है कि जो अधिसूचना में प्रकाशित की गई है उसमें उनका नाम श्रीमती शीला प्यारी अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है । जबकि उनका सही नाम शीला त्यागी है जिसे शुद्व कराया जाय । साक्ष्य हेतु नकल खतोनी संलग्न की गई । राजस्व अभिलेखों के आधार पर नाम सही कर दिया गया है। अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्री सोनपाल,प्रेमचन्द,धर्मवीर,पुत्रगण पदमसिंह,निन्नूराम पुत्र श्री करनसिंह निवासी ग्राम व पोस्ट बरहन तहसील एत्मादपुर, आगरा।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 1718 से लगी भूमि का बैनामा वर्ष 2011 में 1500/प्रतिवर्गमीटर की दर से हुआ है जिसकी छाया प्रति संलग्न है । इसलिए उनको उक्त दर से प्रतिकर भुगतान किया जाय । अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर किया जायेगा । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्री नीरज पत्नी गनेशीलाल, शकुन्तलादेवी पत्नी श्री भगवानसिंह निवासी ग्राम बरहन तहसील एत्मादपुर आगरा।

आपित्तकर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 1719, 1720 1877 से श्रीमती नीरज पत्नी श्री गनेशीलाल, श्री महेश पुत्र लक्ष्मीनरायन द्वारा भूमि का बैनामा श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नी श्री भगवानसिंह के पक्ष में कर दिया गया है।

जिसका अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में हो चुका है । इसलिए प्रतिकर का भुगतान इन्हीं को किया जाय । नकल खतोनी संलग्न की गई है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि गाटा संख्या 1719 व 1720 से लगी भूमि का बैनामा वर्ष 2011 में 1500/प्रतिवर्गमीटर की दर से हुआ है जिसकी छाया प्रति संलग्न है । इसलिए उनको उक्त दर से प्रतिकर भुगतान किया जाय । अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर किया जायेगा । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्री भगवानसिंह पुत्र श्री हरीराम ग्राम बरहन तहसील एत्मादपुर ,आगरा।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि गाटा संख्या 1719, 1720 से लगी भूमि का बैनामा वर्ष 2011 में 1500/प्रतिवर्गमीटर की दर से हुआ है जिसकी छाया प्रति संलग्न है । इसलिए उनको उक्त दर से प्रतिकर भुगतान किया जाय । अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर किया जायेगा । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्री डम्बरसिंह पुत्र तुलाराम, पूरनसिंह पुत्र श्री तुलाराम निवासी आग्याबाद तहसील व जिला फिरोजाबाद ।

आपत्तिकर्ता द्वारा कहा गया है कि उसकी भूमि संदर्भित योजाना हेतु अर्जित की जा रही है जिसका उचित प्रतिकर उसे दिया जाय । अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर किया जायेगा । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया गया है।

आपत्तिकर्ता श्री प्रेमवीर, राजू पुत्रगण हरप्रसाद निवासी बरहन तहसील एत्मादपुर,आगरा।

आपित्तकर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी भूमि गाटा संख्या 1512 व 1521 से अर्जित की जा रही है जो काफी बेशकीमती भूमि है जो कि उनके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि उनकी भूमि अर्जन से मुक्त रखी जाये और यदि उनकी भूमि अर्जित की जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों को नोकरी दी जाय तथा नोयडा में अर्जित भूमि हेतु जो प्रतिकर दिया जा रहा है उसी दर से उन्हें प्रतिकर दिया जाय । अर्जन निकाय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपने जबाब में कहा गया है कि यह एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक योजना है जिसके निर्माण से देशकी अधोसंरचना का विकास होगा एवं लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना कियान्वन हेतु सामानतर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के कार्य हेतु वाईपास निकाले जाने हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इसलिए भूमि का अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

आपत्तिकर्ता श्री. मदन कुमार,विकास जैन,नवीन कुमार जैन निवासी बरहन,तहसील एत्मादपुर आगरा।

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी भूमि गाटा संख्या 1559, 1658 से अर्जित की जा रही है । उक्त भूमि पर उनका ऐ पीपल का पेड है जिसकी कीमत रू0 20000/है । इसके अतिरिक्त कहा गया है कि अर्जित भूमि पर एक कूप स्थिति है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि उनकी भूमि अर्जन से मुक्त रखी जाये और यदि उनकी भूमि अर्जित की जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों को नोकरी दी जाय तथा नोयडा में अर्जित भूमि हेतु जो प्रतिकर दिया जा रहा है उसी दर से उन्हें

प्रतिकर दिया जाय । अर्जन निकाय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपने जबाब में कहा गया है कि यह एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक योजना है जिसके निर्माण से देशकी अधोसंरचना का विकास होगा एवं लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना कियान्वन हेतु सामानतर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के कार्य हेतु वाईपास निकाले जाने हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इसलिए भूमि का अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

आपत्तिकर्ता श्री लाखनसिह,ऊदलसिंह पुत्रगण री चन्दसिंह,रिसालसिंह, जगमोहनसिह, किशनसिह पुत्रगण स्व0 श्री विजेन्द्रसिंह,निवासीगण लक्षमनपुर, मौजा बरहन तहसील ऐत्मादपुर जनपद आगरा।

आपित्कर्ता द्वारा कहा गया है कि उनकी भूमि गाटा संख्या 1661 से अर्जित की जा रही हैं जो कि आबादी से लगी हुई है ज़िसके दोनो तरफ रोड है । प्रार्थना पत्र में कहा गया है गाटा संख्या 1661 से भूमि का बिकय 1500/ प्रतिवर्गमीटर की दर से हुआ है इसलिए उनकी भूमि का प्रतिकर रू0 3000/प्रतिवर्गमीटर की दर से दिया जाय । परन्तु मांगी उक्त दर के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

आपत्तिकर्ता श्री शिवमोहनसिह,नरसिहपाल,शिशुपाल, चन्द्रपालसिंह,ओमप्रकाश,बृजमोहन, त्रिलोकचन्द, रामजीलाल त्यागी,बहादुरसिह, अन्नतमोहनशर्मा, गीमतसिंह, राकेशकुमार, इन्द्रपालसिंह, सत्यदेव त्यागी, सुरेशचन्द्र त्यागी,चन्द्रशेखर, रामवीरसिह, लालसिंह, हरिओमसिंह,पौपसिंह, मरनदेवी निवासीगण बरहन तहसील एत्मादपुर आगरा।

आपित्तकर्ताओं द्वारा एक सम्मिलित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें गाटा संख्या 1877, 1876, 1875, 1873, 1881, 1882, 1883, 1772, 1714 ,1775, 1776, 1755,1776,1722,1721,1720,1719,1718,1558/2403,1661,1658,1559,1625,1750,1575,1574 ,1528,1520,1514,1521,1513,1512,1261,1262,1263,1264,1265,1666,1267,1258,1248,1247, 1246,1237,1234,1233,1218,1217,1216,1215,1213,1211,1210,1193 के सम्बन्ध आपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी भूमि अर्जन हो जाने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्तपन्न हो जायेगी । उनके द्वारा कहा गया कि बरहन से टूण्डला तक रेल पटरियों के सहारे काफी जमीन खाली पडी है जिससे योजना की पूर्ति की जा सकती है। साथ ही कहा गया कि उनको अर्जित भूमि के फलस्वरूप भूमि के बदले भूमि दी जाय तथा नोकरी दी जाय । उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी भूमि की कीमत रू0 3.00करोड़ प्रतिवीघा पक्का है। इसलिए उनके प्रार्थना पत्र पर सहानभूति पूर्वक विचार किया जाय । अर्जन निकाय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत अपने जबाब में कहा गया है कि यह एक महत्वाकांक्षी सार्वजनिक योजना है जिसके निर्माण से देशकी अधोसंरचना का विकास होगा एवं लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना कियान्वन हेतु सामानतर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण परियोजना के कार्य हेतु वाईपास निकाले जाने हेतु भूमि का अर्जन किया जा रहा है। इसलिए भूमि का अर्जन से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण नियमानुसार अधिनियम में दी गई व्यवस्था एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के आधार पर कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी । अतः आपत्ति निक्षेप की जाती है तथा प्रार्थना पत्र पत्रावली में सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रस्तावित ग्राम में धारा–20ए की प्रकाशन दिनांक से तीन वर्ष पूर्व में निष्पादित बैनामों का संकलन अमीन द्वारा सब–रजिस्ट्रार कार्यालय एत्मादपुर से कराकर अनुसूची–2 तैयार करायी गई ।

संदर्भित योजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर निधारण हेतु जिलाधिकारी/प्रभारी आयुक्त आगरा मण्डल आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2012 को दोपहर 12.00 बजे आयुक्त कार्यालय में स्थिति लघु सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसमें जनपद के सब–रजिस्ट्रार,एत्मादपुर,आगरा,किरावली, उपजिलाधिकारी एत्मादपुर, आगरा किरावली, एवं अपर जिलाधिकारी (वि/रा) आगरा आदि एवं अर्जन निकाय के सहायक परियोजना प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0 भी उपस्थित थे ।

बैठक में प्रस्तावित ग्रामों में नियत अवधि में निष्पादित पाये गये बैनामों के अवलोकन यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित ग्राम में नियत अवधि में निष्पादित बैनामों में बिक्रय की गई भूमि की दरें काफी कम आती हैं । इसलिए इतनी कम दरों पर काश्तकार भूमि दिये जाने हेतु सहमत नहीं होगें । जबकि तहसील एत्मादपुर में यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर रू0 580/प्रतिवर्गमीटर वर्ष 2010–2011 में निर्धारित किया जा चुका है तथा वर्तमान में जनपद की तहसील एत्मादपुर व आगरा में रिंग रोड एंव लेण्ड पार्सल हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर रू0 648/प्रतिवर्गमीटर से निर्धारित किया गया है। **ऐसी स्थिति में उक्त दर से कम दर पर भूमि दिये जाने हेतु काश्तकारो द्वारा सहमति दिया जाना सम्भव नहीं होगा । जनपद में अर्जित भूमि के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में** काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये आन्दलनों एंव काश्तकारों के हितो को देखते हुए बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना हेतु अर्जित भूमि का प्रतिकर देय क्षतिपूर्ति सहित रू0 648/प्रतिवर्गमीटर (रू0 छः सौ अडतालीस मात्र प्रतिवर्गमीटर) से नर्धारित कर अभिनिर्णय की कार्यवाही शीघ्र की जाय। उक्त चयनित दर पर अलग से क्षतिपूर्ति नहीं दी जायगी ।

उपरोक्त बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों द्वारा उक्त दर से प्रतिकर **निर्धारण करने की संस्तुति की गई है जिसका अनुमोदन जिलाधिकारी आगरा द्वारा दिनांक** 21.04.2012 को दिया गया है। इस प्रकार संदर्भित प्रकरण में अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु दर रू0 648/प्रतिवर्गमीटर अर्थात 64,80,000/(रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) मय क्षतिपूर्ति के चयनित की गई है।

उपरोक्तानुसार चयनित दर रू0 648/ प्रति वर्गमी0 अर्थात 64,80,000/(रू0 चौसठ लाख अस्सी हजार मात्र) से सन्दर्भित प्रकरण में अर्जित की जा रही कुल 13.1313 . **हेक्ट0 भूमि के प्रतिकर की धनराशि रू0 8,50,90,824.00(रू0 आठ करोड पचास लाख नब्बे हजार आठ सौ चौबीस मात्र) निर्धारित की जाती है।** इसके अतिरिक्त अर्जित भूमि पर स्थित पाये गये वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग आगरा द्वारा करके रू0 53,867.00 एवं भवन आदि का निर्माण का का मूल्यांकन रू0 32,07,518.00 लो0 नि0विभाग द्वारा एवं कूप/बोरिंग का मूल्यांकन रू0 6,26,000.00 जल निगम द्वारा की धनराशि सहित उपलब्ध कराया गया है । इस प्रकार सम्पत्ति के मूल्यांकन की धनराशि सहित प्रतिकर की कुल धनराशि रू0 8,89,78,209.00(रू0 आठ करोड नवासी लाख अठत्तर हजार दो सौ नौ मात्र) निर्धारित की जाती है जो भू–स्वामियों को देय होगी । इसके अतिरिक्त प्रभावित काश्तकारों को पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन के तहत दी जाने वाली सहायता राशि एवं अन्य देय लाभ अर्जन निकाय/रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार नियमानुसार दिये जायेगे ।

भूमि अध्याप्ति व्यय

अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर की धनराशि पर 10 प्रतिशत अर्जन व्यय अर्जन निकाय से लिया जायेगा ।

ब्याज की धनराशि

संशोधित रेलवे अधिनियम 2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ब्याज देय होगी ।

भू–राजस्व पूँजीकृत मूल्य :–

अर्जित की जा रही भूमि के कुल लगान की धनराशि की 150 गुनो धनराशि भूमि– राजस्व पूँजीकृत मूल्य के रूप अर्जन निकाय से ली जायेगी ।

(अवधेश प्रताप सिंह)
सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
आगरा

अभिनिर्णय आज दिनांक 30-04-2018 को घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया ।

सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
आगरा

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	DFCCL/R/E/24/00893	**Date of Receipt :**	06/10/2024
Type of Receipt :	Online Receipt	**Language of Request :**	English
Name :	ABHISHEK SHARMA	**Gender :**	Male
Address :	barhan, vill barhan, Agra, Pin:283201		
State :	Uttar Pradesh	**Country :**	India
Phone No. :	+91-8445812358	**Mobile No. :**	+91-8445812358
Email :	abhishcksharma989720@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Rural	**Education Status :**	Above Graduate
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	10)	**Mode of Payment**	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	

Information Sought :

Regarding the notification of the order issued by the Additional District Magistrate (Revenue) Agra under Section 8(1)(J) of the RTI Act 2005 related to the allotment of government land for the Dedicated Front Corridor for Gata numbers 1562, 1563, 1572, and 1573 in the public interest.

1. Please provide a photocopy of the order issued by the Additional District Magistrate (Revenue) Agra regarding the allotment of the land of Gata number 1562 (Chak Road) in village Barhan, Tehsil Etmadpur, District Agra for the Dedicated Front Corridor.

2. Please provide a photocopy of the order issued by the Additional District Magistrate (Revenue) Agra regarding the allotment of the land of Gata number 1572 (Chak Road) in village Barhan, Tehsil Etmadpur, District Agra for the Dedicated Front Corridor.

3. Please provide a photocopy of the order issued by the Additional District Magistrate (Revenue) Agra regarding the allotment of the land of Gata number 1563 (Gul) in village Barhan, Tehsil Etmadpur, District Agra for the Dedicated Front Corridor.

4. Please provide a photocopy of the order issued by the Additional District Magistrate (Revenue) Agra regarding the allotment of the land of Gata number 1573 (Gul) in village Barhan, Tehsil Etmadpur, District Agra for the Dedicated Front Corridor.

5.How much total area was acquired in Gata Number 1625, located in Barhan village, Etmadpur Tehsil, Agra district? Please provide the length and width of the acquired area.

Print Save Close